

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलेक्टर (SDO) मुकाम...

बनाम जोगाराध टीकम चन्द वज्र

किस्म मुकदमा... राजस्व आयेन 111/28 नं. 138/21 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/05/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>कुम्हार के. ई. चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/06/2021</u> को पेश हो।</p>	
29/06/2021	<p>पत्रावली पेश हुई जवाब पत्रिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पत्र रिक्त है</p> <p>अतः पत्रावली इत्यन्तु वास्तु दिनांक <u>07/09/2021</u></p> <p>को पेश हो।</p>	<p><i>Handwritten Signature</i></p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु</p>
07/09/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राधीगणों के नोटिस तामील हुक्म तामिल पत्रावली सीमान पीठासीन अधिकारी दिनांक 26/05/2021 के पत्रावली होने के मिशाल इत्यन्तु दिनांक <u>26/11/2021</u> को पेश हो।</p>	
26/11/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राधीगणों के नोटिस तामिल हुक्म प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रा गण/विप्राधीगण कावतुल तामिल भवतु। सीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन जहाँ के संग दिनांक-2021 के पत्रावली होने के मिशाल इत्यन्तु दिनांक <u>19/04/2022</u></p>	

को पेश हो।

तारीख हुक्म

19/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक जज  
(300) बायतु

न्यायालय  
क्रमांक : वाद / 2022 / 499  
प्रार्थी  
1. जोगाराम पुत्र  
जाति माट  
पटवार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 499

प्रार्थी

बनाम

दिनांक : 28/4/2022  
विप्रार्थीगण

1. जोगाराम पुत्र लाखाराम,  
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,  
पटवार मण्डल छीतर का पार,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

1. टीकमचन्द पुत्र सोनाराम वगैरा 06,  
जाति भाट, निवासी जोगासर कुआं,  
पटवार मण्डल छीतर का पार,  
तहसील बायतु (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 138 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - जोगासर कुआं, पटवार हल्का - छीतर का पार, तहसील - बायतु, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 705/85, 712/702 रकबा क्रमशः 1.4481, 0.1618 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश चिंह आशिमा)  
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 28/4/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 500 - 504  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का छीतर का पार को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र लाखाराम,
4. विप्रार्थी श्री टीकमचन्द पुत्र सोनाराम वगैरा 06,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु